संख्याः 136 भू0कय/18(1)/2007

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांक22 मई, 2008

विषयः— **मै0 उत्तराखण्ड उदय ट्रस्ट रूड़की को पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु तहसील रूड़की के ग्राम धनौरी में कुल 2.188 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—1234/भूमि व्यवस्था भूमि क्रय VIII दिनांक 16-11-2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 उत्तराखण्ड उदय ट्रस्ट रूड़की को पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एंव भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एंव उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(III) के अन्तर्गत तहसील रूड़की के ग्राम धनौरी में गाटा/स0नं0 339/2 रकबा 1.810है0 एवं 341मि रकबा 0.3080है0 अर्थात कुल 2.188 है0 भूमि क्रय करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:

1— क्रेता धारा—129—ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलैक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि क्रय करने के लिये अर्ह होगा।

2— क्रेता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा—129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3— क्रेता द्वारा क्रय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ क्रय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा 167 के परिणाम लागू होंगे।

.....(2)

4– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि क्रय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5– जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6– शासन द्वारा दी गई भूमि क्रय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिन तक वैध रहेगी। उक्त 180 दिन के भीतर योजना का निर्माण कार्य आरम्भ करा लिया जायेगा।

7– संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से दो वर्ष के भीतर भूमि का उपयोग पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट (तकनीकी संस्थान) की स्थापना हेतु कर लिया जायेगा।

8– संस्था द्वारा उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को 70 प्रतिशत का रोजगार सुनिश्चित किया जायेगा।

9– संस्था द्वारा भूमि के विक्रय विलेख पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर पोलीटेक्निक इन्स्टीट्यूट की स्थापना हेतु नियमानुसार नियत प्राधिकारी को आवेदन कर दिया जायेगा। जिसकी एक प्रति तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

10– किसी भी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन करा लिया जायेगा।

11– भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

12– नियमानुसार योजना प्रारम्भ करने से पूर्व संबंधित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य औपचारिकतायें/अनापत्तियां प्राप्त कर ली जायेगी।

13– उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त करदी जायेगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

.....(3)

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः--

1. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री अफरोज क्यूम, उत्तराखण्ड उदय ट्रस्ट, रूड़की, ग्राम–रूहालकी, पो0ओ0 भगवानपुर, रूड़की हरिद्वार।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बड़ोनी)
अनुसचिव।